


प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) संशोधित उपरान्त बढ़ी हुई
धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिल्ली-कानपुर मार्ग किमी0 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर तहसील सिकन्द्राबाद के खसरा नं0 165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट का निर्माण पूर्व में किया गया है। रिटेल आउटलेट के निर्माण से दिल्ली-कानपुर मार्ग किमी0 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी की 0.1689245 हे0 संरक्षित वन भूमि का उपयोग वाहनों के आवागमन हेतु उपयोग किया जा रहा है। इस संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) का भुगतान करने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 वचनबद्ध है। यदि केन्द्र/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की अतिरिक्त देय धनराशि जमा करने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 बचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
प्याना रेंज (बु0शहर)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
बुलन्दशहर


मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0
आगरा।

आदेश: विक्रम सिंह
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक
आगरा क्षेत्रीय कार्यालय
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
85/4, इत्यात भवन, तृतीय तल, संजय प्लेस
आगरा-282002


विभोरता सिंह
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक बाणिजी प्रभाग,
बुलन्दशहर।